भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1797

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन विचार-विमर्श में कोयला यूनियनों को शामिल किया जाना

1797. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन नीति को आकार देने में कोयला यूनियन नेताओं और कामगारों के विचारों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने समावेशी और न्यायसंगत परिवर्तन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कोयला यूनियनों के साथ परामर्श शुरू किया है;

(ग) न्यायपूर्ण परिवर्तन की अवधारणा के बारे में कोयला कामगारों और यूनियनों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं; और

(घ) परिवर्तन के दौरान कोयला क्षेत्र के कामगारों के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीतियों को लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : भारत वर्तमान में देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कोयला उत्पादन में वृद्धि कर रहा है। भारत में कोयले की कुल खपत अभी तक चरम पर नहीं पहुंची है, और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, कोयला उत्पादन वर्ष 2023-24 में 997.83 मि.ट. से वर्ष 2030 तक लगभग 1500 मिलियन टन (मि.ट.) तक पहुंचने का अनुमान है। कोयले की मांग में वृद्धि जारी रहने की अपेक्षा है और वर्ष 2040 के आसपास यह चरम पर पहुंच सकती है। निकट भविष्य में किसी भी प्रचालनरत कोयला खान को बंद करने की योजना नहीं है। इसलिए, अब तक, कोयले से पारगमन की कोई संभावना नहीं है जिससे कोयला खनन में शामिल हितधारक प्रभावित हों। इस प्रकार, देश में लघु और मध्यम अवधि में कोई कोयला पारगमन नहीं हो रहा है। तदनुसार, कोयले के संबंध में न्यायोचित ऊर्जा बदलाव नीति पर कोई परामर्श नहीं किया जा रहा है।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।
